



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1942 (श०)

(सं० पटना 894) पटना, मंगलवार, 17 नवम्बर 2020

fuokpu foHkx

अधिसूचना

17 नवम्बर 2020

सं० बी1-3-90/2020-75—यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-16 के अधीन निर्गत अधिसूचना के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक, तिरहुत स्नातक एवं कोसी स्नातक तथा पटना शिक्षक, दरभंगा शिक्षक, तिरहुत शिक्षक एवं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित 08 (आठ) सदस्यों की पदावधि समाप्त होने पर उनके स्थानों को भरने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन हो चुका है।

इसलिए, अब उक्त अधिनियम की धारा-74 के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् के उपर्युक्त स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों के नामों को सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है :-

निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र	नीरज कुमार	जनता दल (यूनायटेड)
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र	देवेश चन्द्र ठाकुर	जनता दल (यूनायटेड)
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र	सर्वेश कुमार	निर्दलीय
कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र	डॉ० एन० के० यादव	भारतीय जनता पार्टी
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र	नवल किशोर यादव	भारतीय जनता पार्टी
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र	केदार नाथ पाण्डेय	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया
तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र	संजय कुमार सिंह	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया
दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र	डॉ० मदनमोहन झा	इंडियन नेशनल कांग्रेस

बिहार-राज्यपाल के आदेश से और नाम पर,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

Election Department**Notification****17th November 2020**

No. B1-3-90/2020-75—Whereas election has been held in pursuance of notification issued under section 16 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) for the purpose of filling the 8 (Eight) seats from Patna Graduates', Darbhanga Graduates', Tirhut Graduates' & Kosi Graduates' and Patna Teachers', Darbhanga Teachers', Tirhut Teachers' & Saran Teacher's Constituency of Bihar Legislative Council of their term of office.

Now, therefore, in pursuance of section 74 of the said Act, the names of members, elected from above Graduates' and Teachers' Constituencies for Bihar Legislative Council are hereby notified for general information :-

Number & Name of Constituency	Name of Elected Member	Party Affiliation (if any)
Patna Graduates' Constituency	Neeraj Kumar	Janata Dal (United)
Tirhut Graduates' Constituency	Devesh Chandra Thakur	Janata Dal (United)
Darbhanga Graduates' Constituency	Sarvesh Kumar	Independent
Kosi Graduates' Constituency	Dr. N.K. Yadav	Bharatiya Janata Party
Patna Teachers' Constituency	Nawal Kishor Yadav	Bharatiya Janata Party
Saran Teachers' Constituency	Kedar Nath Pandey	Communist Party of India
Tirhut Teachers' Constituency	Sanjay Kumar Singh	Communist Party of India
Darbhanga Teachers' Constituency	Dr. Madan Mohan Jha	Indian National Congress

By order and in the name of the Governor of Bihar,

MITHILESH KUMAR SAHU,

Joint Secretary-cum

Joint Chief Electoral Officer, Bihar.

fuokpu foHkkx

अधिसूचना**17 नवम्बर 2020**

सं० : बी1-3-90/2020-76— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-74 के उपबंधों के अनुसरण में पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक, तिरहुत स्नातक एवं कोसी स्नातक तथा पटना शिक्षक, दरभंगा शिक्षक, तिरहुत शिक्षक एवं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्यों की अधिसूचना, जिसमें निर्वाचित सदस्यों के नाम हैं एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-67 के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन परिणाम से संबंधित घोषणा प्ररूप-23 (हिन्दी एवं अंग्रेजी) की प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से और नाम पर,

मिथिलेश कुमार साहु,

संयुक्त सचिव-सह-

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

प्ररूप – 23

[नियम 84(1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

बिहार विधान परिषद् के 1-पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

नीरज कुमार (नाम), मोलदियार टोला, पाठक घाट, वार्ड न0-13 मोकामा, पोस्ट-मोकामा, थाना- मोकामा, जिला पटना-803302 (पता), जो जनता दल (यूनायटेड) (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उस सदन में नीरज कुमार, बिहार विधान परिषद् सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 06.05. 2020 (तारीख, मास और वर्ष) को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान – पटना
तारीख- 13.11.2020

(हो)-अस्पष्ट,
रिटर्निंग ऑफिसर,
पटना स्नातक निर्वाचन, बिहार विधान परिषद
-सह- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना।

FORM 23

[See rule 84 (1)(a)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Bihar Legislative Council From 1-Patna Graduates' Constituency

In pursuance of the provision contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with clause (a) if sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that

Neeraj Kumar (Name), Moldiyar Tola, Pathak Ghat, Ward No. 13, Mokama, Post- Mokama, P.S.- Mokama, District- Patna-803302 (Address), Sponsored by Janata Dal (United) (name of recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat(s) in that House of a Neeraj Kumar, Bihar Legislative Council member(s) retiring on 06-05-2020 (date, month and year) on the expiration of their term of office.

Place-Patna
Date-13.11.2020

Sd./- Illegible,
Returning Officer,
Patna Graduates' Constituency
-cum- Divisional Commissioner
Patna Division, Patna.

प्ररूप – 23

[नियम 84(1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

बिहार विधान परिषद् के 4-तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

देवेश चन्द्र ठाकुर (नाम), अथरी कोठी, रोड नं०-02, डुमरा, जिला- सीतामढ़ी (बिहार), पिन-843301 (पता), जो जनता दल (यूनायटेड) (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उस सदन में देवेश चन्द्र ठाकुर, बिहार विधान परिषद् सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 06.05.2020 (तारीख, मास और वर्ष) को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान – मुजफ्फरपुर

तारीख- 13.11.2020

(हो)-अस्पष्ट,

रिटर्निंग ऑफिसर,

तिरहुत स्नातक निर्वाचन, बिहार विधान परिषद्

-सह- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

FORM 23

[See rule 84 (1)(a)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Bihar Legislative Council From 4-Tirhut Graduates' Constituency

In pursuance of the provision contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with clause (a) if sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that

Devesh Chandra Thakur (Name), **Athari Kothi, Road No. 02, Dumara, Distt.- Sitamarhi, (Bihar) 843301** (Address), Sponsored by **Janata Dal (United)** (name of recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat(s) in that House of a **Devesh Chandra Thakur, Bihar Legislative Council** member(s) retiring on 06-05-2020 (date, month and year) on the expiration of their term of office.

Place- Muzaffarpur

Date-13.11.2020

Sd./- Illegible,

Returning Officer,

Tirhut Graduates' Constituency

-cum- Divisional Commissioner

Tirhut Division, Muzaffarpur.

प्ररूप – 23

[नियम 84(1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

बिहार विधान परिषद् के 5-दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

सर्वेश कुमार (नाम), ग्राम- **शाम्हो टोटहा**, पो- **शाम्हो**, जिला- **बेगूसराय** (पता), जो **निर्दलीय** (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उस सदन में **दिलीप कुमार चौधरी**, बिहार विधान परिषद् सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 06.05.2020 (तारीख, मास और वर्ष) को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान – दरभंगा
तारीख- 13.11.2020

(हो)-अस्पष्ट,
रिटर्निंग ऑफिसर,
दरभंगा स्नातक निर्वाचन, बिहार विधान परिषद्
-सह- आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा

FORM 23

[See rule 84 (1)(a)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Bihar Legislative Council From 5-Darbhanga Graduates'

Constituency

In pursuance of the provision contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with clause (a) if sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that

Sarvesh Kumar (Name), Vill- **Shamho Totaha**, PO- **Shamho**, Dist.- **Begusarai** (Address), Sponsored by **Independent** (name of recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat(s) in that House of a **Dilip Kumar Choudhary**, Bihar **Legislative Council** member(s) retiring on 06-05-2020 (date, month and year) on the expiration of their term of office.

Place- **Darbhanga**
Date-**13.11.2020**

Sd./- Illegible,
Returning Officer,
Darbhanga Graduates' Constituency
-cum- **Divisional Commissioner**
Darbhanga Division, Darbhanga.

प्ररूप – 23

[नियम 84(1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

बिहार विधान परिषद् के 6-कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

डॉ० एन० के० यादव (नाम), **जीवन धारा हॉस्पिटल, खंजरपुर, बरारी, भागलपुर, बिहार** (पता), जो **भारतीय जनता पार्टी** (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उस सदन में **डॉ० एन० के० यादव, बिहार विधान परिषद्** सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 06.05.2020 (तारीख, मास और वर्ष) को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान – पूर्णिया
तारीख– 13.11.2020

(ह०)-अस्पष्ट,
रिटर्निंग ऑफिसर,
कोसी स्नातक निर्वाचन, बिहार विधान परिषद्
-सह- आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

FORM 23

[See rule 84 (1)(a)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Bihar Legislative Council From 6-Kosi Graduates' Constituency

In pursuance of the provision contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with clause (a) if sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that

Dr. N.K. Yadav (Name), **Jeewan Dhara Hospital, Khanjarpur, Barari, Bhagalpur, Bihar** (Address), Sponsored by **Bharatiya Janata Party** (name of recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat(s) in that House of a **Dr. N.K. Yadav, Bihar Legislative Council** member(s) retiring on 06-05-2020 (date, month and year) on the expiration of their term of office.

Place- Purnia
Date-13.11.2020

Sd./- Illegible,
Returning Officer,
Kosi Graduates' Constituency
-cum- Divisional Commissioner
Purnia Division, Purnia.

प्ररूप – 23

[नियम 84(1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

बिहार विधान परिषद् के 1-पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

नवल किशोर यादव (नाम), मोहल्ला-पुनाईचक, नाबार्ड रोड, पत्थर गली, पो-पुनाईचक, थाना- शास्त्रीनगर, जिला- पटना-23 (पता), जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उस सदन में नवल किशोर यादव, बिहार विधान परिषद् सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 06.05.2020 (तारीख, मास और वर्ष) को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान – पटना
तारीख– 12.11.2020

(हो)-अस्पष्ट,
रिटर्निंग ऑफिसर,
पटना शिक्षक निर्वाचन, बिहार विधान परिषद्
-सह- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना।

FORM 23

[See rule 84 (1)(a)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Bihar Legislative Council From 1-Patna Teachers' Constituency

In pursuance of the provision contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with clause (a) if sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that

Nawal Kishor Yadav (Name), Mohalla- Punaichak, Nabard Road, Patther Gali, PO- Punaichak, PS- Shastri Nagar, Distt- Patna-23 (Address), Sponsored by Bharatiya Janata Party (name of recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat(s) in that House of a Nawal Kishor Yadav, Bihar Legislative Council member(s) retiring on 06-05-2020 (date, month and year) on the expiration of their term of office.

Place-Patna
Date-12.11.2020

Sd./- Illegible,
Returning Officer
Patna Teachers' Constituency
-cum- Divisional Commissioner
Patna Division, Patna.

प्ररूप – 23

[नियम 84(1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

बिहार विधान परिषद् के 3-सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

केदार नाथ पाण्डेय (नाम), आवास सं०-73, एम०आई०जी० हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना-800020 (पता), जो कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उस सदन में केदार नाथ पाण्डेय, बिहार विधान परिषद् सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 06.05.2020 (तारीख, मास और वर्ष) को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान – छपरा

तारीख- 12.11.2020

(ह०)-अस्पष्ट,

रिटर्निंग ऑफिसर,

सारण शिक्षक निर्वाचन, बिहार विधान परिषद्

-सह- आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा।

FORM 23

[See rule 84 (1)(a)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Bihar Legislative Council From 3-Saran Teachers' Constituency

In pursuance of the provision contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with clause (a) if sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that

Kedar Nath Pandey (Name), **House No. 73, M.I.G. Hanuman Nagar, Kankarbagh, Patna-800020** (Address), Sponsored by **Communist Party of India** (name of recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat(s) in that House of a **Kedar Nath Pandey, Bihar Legislative Council** member(s) retiring on 06-05-2020 (date, month and year) on the expiration of their term of office.

Place- Chapra

Date-12.11.2020

Sd./- Illegible,

Returning Officer

Saran Teachers' Constituency

-cum- Divisional Commissioner

Saran Division, Chapra.

प्ररूप – 23

[नियम 84(1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

बिहार विधान परिषद् के 4-तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

संजय कुमार सिंह (नाम), राधिकापुरी, कलमबाग रोड, पोस्ट- रमना, जिला- मुजफ्फरपुर-842002 (पता), जो कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उस सदन में संजय कुमार सिंह, बिहार विधान परिषद् सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 06.05.2020 (तारीख, मास और वर्ष) को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान – मुजफ्फरपुर

तारीख- 12.11.2020

(हो)-अस्पष्ट,

रिटर्निंग ऑफिसर,

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन, बिहार विधान परिषद्

-सह- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

FORM 23

[See rule 84 (1)(a)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Bihar Legislative Council From 4-Tirhut Teachers' Constituency

In pursuance of the provision contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with clause (a) if sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that

Sanjay Kumar Singh (Name), **Radhikapuri, Kalambag Road, Post- Ramna, Distt.- Muzaffarpur-842002** (Address), Sponsored by **Communist Party of India** (name of recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat(s) in that House of a **Sanjay Kumar Singh, Bihar Legislative Council** member(s) retiring on 06-05-2020 (date, month and year) on the expiration of their term of office.

Place- Muzaffarpur

Date-12.11.2020

Sd./- Illegible,

Returning Officer,

Tirhut Teachers' Constituency

-cum- Divisional Commissioner

Tirhut Division, Muzaffarpur.

प्ररूप – 23

[नियम 84(1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

बिहार विधान परिषद् के 5-दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

डॉ० मदनमोहन झा (नाम), ग्राम + पो०- बघांत, थाना- मनिगाछी, जिला- दरभंगा (पता), जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उस सदन में डॉ० मदनमोहन झा, बिहार विधान परिषद् सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 06.05.2020 (तारीख, मास और वर्ष) को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान – दरभंगा

तारीख- 12.11.2020

(ह०)-अस्पष्ट,

रिटर्निंग ऑफिसर,

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन, बिहार विधान परिषद्

-सह- आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।

FORM 23

[See rule 84 (1)(a)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Bihar Legislative Council From 5-Darbhanga Teachers' Constituency

In pursuance of the provision contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with clause (a) if sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that

Dr. Madan Mohan Jha (Name), **Vill+PO- Baghant, PS- Manigachhi, Dist.- Darbhanga** (Address), Sponsored by **Indian National Congress** (name of recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat(s) in that House of a **Dr. Madan Mohan Jha, Bihar Legislative Council** member(s) retiring on 06-05-2020 (date, month and year) on the expiration of their term of office.

Place- Muzaffarpur

Date-12.11.2020

Sd./- Illegible,

Returning Officer,

Darbhanga Teachers' Constituency**-cum- Divisional Commissioner****Darbhanga Division, Darbhanga.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 894-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>